जस्पाल सिंह और अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य (2022 की सिविल अपील संख्या 7516-7521) 20 अक्टूबर, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जेजे।**]**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।4,6,11 – क्षतिपूर्ति-वृद्धि-झज्जर ताप विद्युत संयंत्र के लिए 1894 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था-अधिग्रहण कलेक्टर ने निर्धारित किया और मुआवजे के रूप में रु। 16,00,000-प्रति एकड़-संदर्भ अदालत ने मुआवजे की राशि @Rs.17,64,350 प्रति एकड़ बढ़ाई-उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि को घटाकर रु। 16,00,000-प्रति एकड़-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, भूमि मालिकों ने अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मामले के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया था और यह तर्क दिया गया था कि वर्तमान मामले में अधिग्रहित भूमि और अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए अधिग्रहित भूमि समान रूप से स्थित हैं-आयोजितःवर्तमान मामले में भूमि और अरावली विद्युत परियोजना के मामले में जारी भूमि दोनों समान रूप से स्थित हैं-इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभिलेख और बिक्री के उदाहरणों पर साक्ष्य पर विचार करते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भूमि मालिक न्यायसंगत और उचित मुआवजे के हकदार होंगे और अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मामले को ध्यान में रखते हुए-मुआवजा @22,00,000-प्रति एकड़ दिया गया-उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को तदनुसार संशोधित किया गया था।

/

/

/

/

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** अभिलेख पर साक्ष्य और बिक्री के उदाहरणों पर विचार करते हुए जिन पर भूमि मालिकों की ओर से भरोसा किया गया था और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भूमि मालिक अधिग्रहित भूमि के लिए न्यायसंगत और उचित मुआवजे के हकदार होंगे और इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए

/

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड**,** यह न्यायालय

राय है कि यदि वर्तमान मामले में भूमि मालिकों को रुपये की दर से मुआवजा दिया जाता है। **22,00,000-**प्रति एकड़**,** इसे उचित और उचित मुआवजा कहा जा सकता है।**[**पैरा **8] [676-**सी**-**ई**]**

/

670 ए.

671

जस्पाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ए

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सिविल अपील)

2016 की सं. 8757 और उच्चतम न्यायालय द्वारा 05.09.2017 पर निर्णय ली गई संबंधित अपील)-पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 7516-7521।

/

2019 की आर. एफ. ए. संख्या 484,2014 की 3480 और 3457,2015 की 4699,2018 की 4513 और 4515 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सह

2022 की सिविल अपील संख्या 7524-7531,7447-7448,7449-7477,7478-7512,7513,7545-7579,7544,7581-7584।

/

श्याम दीवान, रामेश्वर सिंह मलिक, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, गौरव अग्रवाल, पल्लव मोंगिया, अंकुश मंगल, तुषार श्रीवास्तव, राकेश दहिया, आदित्य दहिया, सत्यवान कुडालवाल, कपिल दहिया, अक्षत जैन, आदित्य दहिया, दीपकरन दलाल, रौनाक दलाल, टोनिश सिंह,

दलेल सिंह, अजय पाल, मयंक दहिया, सुश्री प्रियंका सी., कुलदिप सिंह कोचलिया, जितेश मलिक, सतीश कुमार, निर्णीमेश दुबे, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुशील जोसेफ सिरियाक, सुश्री सोनिया दुबे, सुश्री उदिता चक्रवर्ती, मैसर्स लेक्स रेजिस विधि ऑफिसेस, समर विजय सिंह, विपिन सिंह बंसल, सुश्री अमृता वर्मा, एड.उपस्थित पक्षकारों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

/

एम. आर. शाह, जे.

1. आर. एफ. ए. सं. <आई. डी. 2] और अन्य संबद्ध प्रथम अपीलों में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और दिनांक 21.03.2022 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यहां उत्तरदाताओं द्वारा की गई अपीलों को अनुज्ञात है और अपीलकर्ताओं द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया है-मूल दावेदार/भूमि मालिक, मूल दावेदार/भूमि मालिकों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

/

इसके अंतर्गतः

कि हरियाणा के झज्जर जिले के गाँव झर्ली में स्थित भूमि का अधिग्रहण झज्जर ताप विद्युत संयंत्र के लिए किया गया था।भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम 1894' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना 09.04.2007 पर जारी की गई।घोषणा के अंतर्गत

/

672

/

[2022] 15 एस सी आर।

अधिनियम, 1894 की धारा 6 13.11.2007 पर जारी की गई थी।भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अंतर्गत पुरस्कार की घोषणा की और निर्धारित किया और मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये दिए। 16,00,000-प्रति एकड़।संदर्भ न्यायालय ने

मुआवजे की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। 17,64,350-प्रति एकड़।अधिग्रहण निकाय/लाभार्थी के साथ-साथ मूल दावेदारों/भूमि मालिकों दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी, जिसमें संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार को चुनौती दी गई, जिसमें मुआवजे के रूप में रु। 17,64,350-प्रति एकड़।आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने राज्य/अधिग्रहण निकाय द्वारा की गई अपीलों को अनुज्ञात कर लिया है और मूल दावेदारों/भूमि मालिकों द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया है और मुआवजे की राशि को घटाकर <ID1,00,000/- प्रति एकड़ कर दिया है, जैसा कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा निर्धारित और दिया गया है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश मूल दावेदारों/भूमि मालिकों के कहने पर वर्तमान अपीलों का विषय है।2.1 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में गाँव झारली की अधिग्रहण भूमि बहू रोड, झज्जर, हरियाणा के पश्चिम की ओर थी।साथ ही, हरियाणा के झज्जर में बहू रोड के पूर्व की ओर स्थित गाँव झारली की भूमि अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए अधिग्रहित की गई।उक्त भूमि झज्जर ताप विद्युत संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि के ठीक विपरीत थी और एक मामले में-जगवीर (सिविल अपील में अपीलार्थी Nos.7447-7448/2022) के मामले में, दोनों परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि एक ही सर्वेक्षण संख्या 73 से बाहर थी।अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए, अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना 16.01.2007 पर जारी की गई थी। धारा 6 के अंतर्गत घोषणा 12.04.2007 पर जारी की गई थी।भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने निर्धारित किया और मुआवजे के रूप में रु। 16,00,000-प्रति एकड़।संदर्भ न्यायालय ने प्रति एकड़ के हिसाब से 00,000/- का मुआवजा भी निर्धारित किया।हालांकि, उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। 29,00,400-प्रति एकड़।सामान्य निर्णय और दिनांक 05.09.2017 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई अपीलों को अनुज्ञात कर लिया और भूमि मालिकों/मूल दावेदारों द्वारा की गई अपीलों को Rs.25,00,000/- प्रति एकड़ (2016 की सिविल अपील संख्या 8757 और संबंधित अपील, 05.09.2017 पर निर्णय लिया गया) का निर्धारण करके खारिज कर दिया।

/

/

/

/

/

/

2.2 उच्च न्यायालय के समक्ष, वर्तमान अपीलों की सुनवाई के समय, मूल दावेदारों/भूमि मालिकों ने अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

/

673

जस्पाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

तथापि, इस न्यायालय द्वारा मुआवजे का आदेश देते समय की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए रु। 25,00,000-प्रति एकड़ कि "मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए", उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय का पालन नहीं किया है और रुपये की दर से मुआवजा निर्धारित किया है। 16,00,000-प्रति एकड़, जैसा कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है।इसलिए, वर्तमान अपील भूमि मालिकों/मूल दावेदारों के कहने पर की जाती है।

/

3. 2016 के आर. एफ. ए. संख्या 2086 और 2087 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 2022 में मूल दावेदार/भूमि मालिक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि झज्जर ताप विद्युत संयंत्र के लिए वर्तमान मामले में अधिग्रहित भूमि और अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए अधिग्रहित भूमि समान रूप से स्थित हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिविल अपील संख्या 7447-7448 2022 में अपीलकर्ता/भूमि मालिक/मूल दावेदार के मामले में भी, दोनों मामलों में भूमि का अधिग्रहण भूमि धारक सर्वेक्षण संख्या 73 से किया गया है और केवल एक सड़क के बीच-बहू रोड गुजर रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थी रुपये की दर से मुआवजे का हकदार होगा। 25,00,000-प्रति एकड़, जैसा कि निर्धारित किया गया है

/

/

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा।

3.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि मालिक/मूल दावेदार उचित मुआवजे के हकदार हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि झज्जर ताप विद्युत संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि और अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए अधिग्रहित भूमि के बीच कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि एक सड़क-बहू रोड दोनों परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के बीच से गुजर रही है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि भूमि के एक हिस्से के लिए मुआवजा रु।

16,00,000-प्रति एकड़ और उसी भूमि/सर्वेक्षण संख्या 73 के दूसरे हिस्से के लिए, मुआवजा रु। 25,00,000-प्रति एकड़।इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाए।

/

/

3.2 संबंधित भूमि मालिकों/मूल दावेदारों की ओर से पेश होने वाले अन्य विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा की गई दलीलों को अपनाया है।4. इन सभी अपीलों का झज्जर ताप विद्युत संयंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल ने विरोध किया है।4.1 जहाँ तक इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है

/

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) का मामला है

/

संबंधित रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय को कथित निर्णय के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से देखा गया है कि उक्त निर्णय मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में है और इसे पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने अरावली के मामले में दिए गए मुआवजे को सही नहीं माना है

पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर)।

/

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में दावेदारों ने दो बिक्री उदाहरणों/बिक्री विलेखों पर भरोसा किया जो वर्ष 2010 में निष्पादित किए गए थे, यानी धारा 4 अधिसूचना के बाद और एक बिक्री विलेख/बिक्री उदाहरण दिनांक 16.05.2007 भूमि के छोटे हिस्से के संबंध में था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने धारा 4 अधिसूचना के बाद बिक्री उदाहरणों/बिक्री विलेखों पर भरोसा नहीं किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद यह देखने के बाद कि दावेदारों/भूमि मालिकों ने तुलनात्मक भौगोलिक स्थिति और इस

प्रभाव का सबूत देने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि ये बिक्री के मामले तुलनीय हैं, उच्च न्यायालय ने झज्जर ताप विद्युत संयंत्र की ओर से की गई अपीलों को उचित रूप से अनुज्ञात कर लिया है और रुपये की दर से मुआवजे का सही निर्धारण किया है। 16,00,000-प्रति एकड़।

/

/

4.3 हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश का समर्थन किया है और झज्जर ताप विद्युत संयंत्र की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों का पूरी तरह से समर्थन किया है।

/

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में जिसके लिए अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना 16.01.2007 पर जारी की गई थी, इस न्यायालय ने मुआवजे का निर्धारण किया था। 25,00,000-प्रति एकड़।यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में अधिग्रहित भूमि और अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए अधिग्रहित भूमि उसी गाँव झर्ली, जिला झज्जर, हरियाणा की थी।अंतर केवल इतना है कि झज्जर ताप विद्युत संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि बाहू रोड, झज्जर के पश्चिम की ओर है, जबकि अरावली विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि बाहू रोड, झज्जर के पूर्व की ओर थी।दोनों मामलों में अधिग्रहित भूमि हरियाणा के झज्जर में बहू रोड के ठीक पार है।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अधिग्रहित भूमि में से, भूमि धारक सर्वेक्षण संख्या 73 मूल भूमि मालिक-जगवीर (सिविल अपील संख्या 2022 में अपीलार्थी) के स्वामित्व में है।

/

/

/

/

दोनों परियोजनाओं के लिए भी अधिग्रहण किया गया था।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुसार परिणामी प्रभाव यह होगा कि झज्जर ताप विद्युत संयंत्र के लिए अधिग्रहित सर्वेक्षण संख्या 73 में से भूमि के कुछ हिस्से के संबंध में, भूमि मालिक को 5 लाख

रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा। 16,00,000-प्रति एकड़ और अरावली बिजली परियोजना के लिए अधिग्रहित सर्वेक्षण संख्या 73 में से भूमि के अन्य हिस्से के संबंध में, भूमि मालिक को रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा। 25,00,000-प्रति एकड़।

/

6. झज्जर ताप विद्युत संयंत्र और अरावली विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के स्थान पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि दोनों परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि को धारा 4 अधिसूचना जारी करने के समय अंतराल में कुछ अंतर के साथ समान रूप से स्थित कहा जा सकता है।एक बार जब अरावली बिजली परियोजना के लिए जिन भूमि मालिकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वे मुआवजे के हकदार माने जाते हैं। 25,00,000-प्रति एकड़, जिन भूमि मालिकों की भूमि झज्जर ताप विद्युत संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई है, उन्हें उचित और उचित मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता है।झज्जर ताप विद्युत संयंत्र और अरावली विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की राशि में भारी अंतर होगा, जिसे जैसा कि ऊपर देखा गया है, समान रूप से स्थित कहा जा सकता है।एक मामले में, भूमि मालिकों/दावेदारों को रुपये की दर से मुआवजे का हकदार माना जाता है। 16,00,000-प्रति एकड़ (झज्जर ताप विद्युत संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि के मामले में) और अरावली विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में, भूमि मालिक/दावेदार रुपये की दर से मुआवजे के हकदार हैं। 25,00,000-प्रति एकड़।

/

/

/

7. यह सच हो सकता है कि रुपये की दर से मुआवजे का निर्धारण करते समय। 25,00,000-अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रति एकड़, उपयोग किए गए शब्द "मामले के विशिष्ट तथ्यों में हैं और इन्हें पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।"हालाँकि, उक्त शब्दों को "मामले के विशिष्ट तथ्यों में और पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए" उस संदर्भ में माना जाना चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया जाता है।इस न्यायालय द्वारा पारित टिप्पणियों और आदेश से, जहां भी उपयोग किए गए शब्द "मामले के विशिष्ट तथ्यों में हैं और जिन्हें पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए", वही शब्द वर्ष 2010 में निष्पादित बिक्री विलेखों के विचार के संबंध में कहा जा सकता है (धारा 4 अधिसूचना के बाद)।चूंकि इस न्यायालय द्वारा जिन बिक्री विलेखों/बिक्री उदाहरणों पर विचार किया गया था, वे धारा 4 की अधिसूचना के बाद के थे, इसलिए इस न्यायालय ने धारा 4 की अधिसूचना के बाद के बिक्री विलेखों को ध्यान में रखते हुए कहा था कि

/

/

दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि बाद के बिक्री विलेख प्रामाणिक थे और उन पर विचार किया जा सकता है।धारा 4 अधिसूचना के बाद निष्पादित बिक्री विलेखों पर विचार करते समय इन टिप्पणियों का अर्थ लगाया जाना चाहिए कि "मामले के विशिष्ट तथ्यों में और इसे पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए"।विधि की तय स्थिति के अनुसार, आम तौर पर धारा 4 की अधिसूचना के बाद के बिक्री विलेखों/बिक्री उदाहरणों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।हालाँकि, जैसा कि पक्षों के बीच यह सहमति हुई थी कि बाद के बिक्री विलेख प्रामाणिक थे और उन पर विचार किया जा सकता है, और मामले के विशिष्ट तथ्यों में और पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, इस न्यायालय ने बाद के बिक्री विलेखों को ध्यान में रखा और मुआवजे के रूप में रु। 25,00,000-उचित कटौती देने के बाद प्रति एकड़, यानी 15 प्रतिशत कटौती।8. हालाँकि, उसी समय, अभिलेख पर साक्ष्य और बिक्री के उदाहरणों पर विचार करते हुए, जिन पर भूमि मालिकों की ओर से भरोसा किया गया था और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भूमि मालिक अधिग्रहित भूमि के लिए न्यायसंगत और उचित मुआवजे के हकदार होंगे और अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यदि वर्तमान मामले में भूमि मालिकों को रुपये की दर से मुआवजा दिया जाता है। 22,00,000-प्रति एकड़, इसे उचित और उचित मुआवजा कहा जा सकता है।आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित करने की आवश्यकता है।

/

/

/

/

9. अब जहां तक आर. एफ. ए. संख्या 4322/2016,4682/2016,804/2017 और 805/2017 से उत्पन्न अपीलों में भूमि मालिकों का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2018 द्वारा पारित आदेश पर विचार करते हुए इस शर्त पर अपील दायर करने/फिर से दायर करने में देरी को माफ करते हुए पारित किया गया कि भूमि मालिक मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे, यदि कोई हो, तो भूमि मालिक उच्च न्यायालय के

समक्ष उक्त अपील दायर करने/फिर से दायर करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज के हकदार नहीं होंगे।

/

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती हैं।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है और यह देखा जाता है और निर्देश दिया जाता है कि जिन भूमि मालिकों की भूमि झज्जर ताप विद्युत संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई है, वे रुपये की दर से मुआवजे के हकदार होंगे। 22,00,000-प्रति एकड़।भूमि मालिक ब्याज सहित सभी वैधानिक लाभों के भी हकदार होंगे जो अधिनियम, 1894 के अंतर्गत उपलब्ध हो सकते हैं।हालाँकि, यह देखा और निर्देशित किया जाता है कि जहाँ तक ए

/

/

आर. एफ. ए. सं. 4322/2016,4682/2016,804/2017 और 805/2017 से उत्पन्न अपीलों में भूमि मालिक संबंधित हैं, वे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने/पुनः दायर करने में देरी की अवधि के लिए मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं होंगे।

11. इन सभी अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात गई है।यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/